न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उप जिला मजि. बसवा
जिला–दौसा

प्रकरण संख्या 28/2022 (पुराना 66/2021)
प्रकरण रज्जु दिनांक 14.9.2021
निर्णय दिनांक 10.10.2023

न्यायालय उप जिला कलेक्टर व उप जिला मजिस्ट्रेट बसवा (दौसा) राज. सत्यमेव जयते

प्रकरण :– वास्ते 128 एल.आर.एक्ट पत्थरगढी हेतु

प्रकरण का उनवान
रामस्वरूप पुत्र हरचंदा जाति मीना निवासी करनावर तह.बसवा जिला–दौसा
(प्रार्थी)

बनाम

1. भागचंद पुत्र भजनीराम जाति मीना निवासी करनावर तह.बसवा
2. जगदीश पुत्र भजनीराम जाति मीना निवासी करनावर तह.बसवा
3. कृपाल पुत्र भजनीराम जाति मीना निवासी करनावर तह.बसवा
4. कमलेश पुत्र भजनीराम जाति मीना निवासी करनावर तह.बसवा
5. बुधा पुत्र भजनीराम जाति मीना निवासी करनावर तह.बसवा
6. कैलाश पुत्र पून्या जाति मीना निवासी करनावर तह.बसवा
7. गल्लो पत्नी भागचंद जाति मीना निवासी करनावर तह.बसवा
8. नीतू पत्नी कमलेश जाति मीना निवासी करनावर तहसील बसवा

(अप्रार्थीगण)

–: निर्णय :–

दिनांक :– 9.10.2023

उपस्थिति :– 1. प्रार्थी की ओर से एडवाकेट श्री राजेन्द्र सिहं गुर्जर एवं श्री फिरोज खान
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 4 एवं 6 से 8 की ओर से एडवोकेट श्री रामकृपाल मीना

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षिप्त वृतांत इस प्रकार है कि प्रार्थी ने इस आशय का एक प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 128 एलआर एक्ट वास्ते पत्थरगढी हेतु पेश किया है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या नया 318 पुराना 288 खसरा नंबर 1978/2349 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नंबर 1990/2350 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नंबर 555 रकबा 0.24 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.73 हैक्टयर वाके रामा करनावर तह.बसवा स्थित है जिसका प्रार्थी एकमात्र रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है । प्रार्थना पत्र के पैरा नंबर 1 में वर्णित भूमि को प्रार्थी खातेदार काश्तकार है एवं काबिज होकर काश्त चलते आ रहे हैं । तथा अप्रार्थीगण की भूमि प्रार्थी की भूमि के लगते हुए है । इसलिए प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के मध्य सीमा विवाद को लेकर झगडे होते रहते हैं एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खाम डोल धीरे–धीरे बिस्मार हो रही है । प्रार्थीगण ने अपनी खाता संख्या नया 318 पुराना 288 खसरा नंबर 1978/2349 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नंबर 1990/2350 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नंबर 555 रकबा 0.24 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.73 हैक्टयर वाके रामा करनावर स्थित है, जिसका दिनांक 7.7.2021 को सीमाज्ञान करवाया तथा सीमाज्ञान के बाद अप्रार्थीगण ने सीमा को गलत बताते हुए जबरन प्रार्थी की भूमि को अपनी भूमि बताना चालू कर दिया । जिसके कारण दोनों पक्षों में सीमा विवाद हो गया, जिसकी वजह से प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना जरूरी है

उप जिला कलेक्टर
बसवा (दौसा)

जिससे भविष्य में सीमा विवाद नहीं हो सके । प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नंबर 1978/2349 को अधिक उपजाउ बनाने के लिये कुछ मिट्टी की खुदाई करवाई है, प्रार्थी ने दिनांक 6.3.2021 को भूमि को समतल करवा रहा था तब अप्रार्थीगण नंबर 1 लगायत 8 ने प्रार्थी के ,खेत को समतल नहीं करने दिया । प्रार्थी ने कहा कि आप मुझे किस हक से रोक रहे हो, अप्रार्थीगण ने स्पष्ट कहा कि यह मेड व उसके आगे की हमारी भूमि है । अप्रार्थीगण के विरोध के बाद परिवादी ने दिनांक 7.7.2021 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवा दिया । अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 318 पुराना 288 खसरा नंबर 1978/2349 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नंबर 1990/2350 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नंबर 555 रकबा 0.24 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.73 हैक्टयर वाके रामा करनावर स्थित है । का तहसील बसवा जिला दौसा को पत्थरगढी मुताबिक नक्शा मौका करवाये जाने के आदेश तहसीलदार बसवा को फरमाये जावे ।

प्रस्तुत प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश होने पर, प्रकरण को नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज कर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये ।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 एवं 6 से 8 की ओर से एडवोकेट उपस्थित आए, उन्हें जवाब प्रस्तुत करने के पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया । अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 4 एवं 6 से 8 का जवाब बंद किया गया । अप्रार्थी संख्या 5 बाद तामील अनुपस्थित रहने हेतु उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जमाबंदी संख्या भूमि खाता संख्या नया 318 पुराना 288 खसरा नंबर 1978/2349 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नंबर 1990/2350 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नंबर 555 रकबा 0.24 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.73 हैक्टयर वाके रामा करनावर तह.बसवा जिला–दौसा का अवलोकन किया गया । प्रार्थीगण द्वारा उनके दावें के समर्थन में दिनांक 7.7.21 को किये गये सीमाज्ञान की प्रति भी पेश की है ।

अतः प्रकरण के समग्र अवलोकन से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी खातेदार अंकित खाता संख्या नया 318 पुराना 288 खसरा नंबर 1978/2349 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नंबर 1990/2350 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नंबर 555 रकबा 0.24 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.73 हैक्टयर वाके रामा करनावर तह.बसवा जिला–दौसा तह.बसवा जिला–दौसा के काश्तकार खातेदार हैं एवं भूमि का दिनांक 7.7.2021 को तहसीलदार बसवा के निर्देशानुसार सीमाज्ञान भी करवाया जा चुका है ।

लिहाजा आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार बसवा खाता संख्या नया 318 पुराना 288 खसरा नंबर 1978/2349 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नंबर 1990/2350 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नंबर 555 रकबा 0.24 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.73 हैक्टयर वाके रामा करनावर तह.बसवा जिला–दौसा तह.बसवा जिला–दौसा का नियमानुसार पत्थरगढी करवावें एवं यदि शांति व्यवस्था के लिहाज से पत्थरगढी कार्यवाही के दौरान पुलिस इमदाद अपेक्षित हो तो संबंधित थानाधिकारी से वांछित पुलिस इमदाद लिया जाना सुनिश्चित करें ।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर, दाखिल दफ्तर होकर नंबर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

(डॉ.नवनीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,बसवा
जिला–दौसा

उप जिला कलेक्टर
बसवा (दौसा)

उप जिला कलेक्टर बसवा (दौसा) राज.